कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए

योजना दिशा-निर्देश

संशोधित योजना दिशा-निर्देश

जनवरी 2023

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

तालिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1	परिचय	**3**
2	योजना का औचित्य	**3-4**
3	योजना के उद्देश्य	**4-5**
4	योजना का कार्यान्वयन काल	**5**
5.	सरकारी बजट सहायता	**6**
6.	पात्र परियोजनाएँ	**7-10**
7.	वित्तपोषण सुविधा और पात्र लाभार्थियों का आकार	**10**
8	इस योजना के तहत पात्र प्रति संस्था योजनाओं की संख्या	**11**
9	भाग लेने वाली संस्थाएँ	**11**
10	पुनर्वित्त	**11**
11	उधार दर की ऊपरी सीमा	**11-12**
12	परियोजना प्रबंधन और हैंडहोल्डिंग समर्थन	**12**
13	अभिसरण	**12**
14	योजना का पुनरीक्षण	**12**
15	निगरानी की रूपरेखा	**13**
16	आउटपुट और परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)	**13**
17	पीएफएमएस के साथ संबंध	**13**
18	पात्र उधारकर्ता के चयन के लिए मानदंड	**13**
19	वीजीएफ की आवश्यकता	**13**
20	सेक्टर विशिष्ट फोकस	**14**
21	राज्य विशिष्ट फोकस	**14**

'कृषि अवसरंचना निधि' के तहत वित्तपोषण सुविधा के केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए योजना के दिशा-निर्देश

1. भूमिका

कृषि विकास और उत्पादन की गति को अगले स्तर तक ले जाने के लिए अवसंरचना की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह केवल अवसंरचना के विकास के माध्यम से होता है, विशेष रूप से फसलोपरांत स्तर की उपज का उपभोग मूल्य संवर्धन के अवसर और किसानों के लिए उचित सौदे के साथ बेहतर रूप से किया जा सकता है। ऐसी अवसंरचना का विकास प्रकृति की अनियमितताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता के उपयोग का भी समाधान करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 15.05.2020 को किसानों के लिए फार्म-गेट आधारभूत अवसंरचना हेतु 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की। फार्म-गेट एवं समेकन केन्द्र (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप आदि) पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान की जायेगी। फार्म-गेट और समेकन केन्द्र के लिए सस्ती और वित्तीय रूप से व्यवहार्य फसलोपरांत अवसंरचना प्रबंधन के विकास के लिए प्रोत्साहनवर्धक है।

तदनुसार, डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घावधि ऋण सुविधा को संगठित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की है।

बाद में, 01.02.2021 को की गयी बजट घोषणा में, इस योजना का लाभ एपीएमसी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, इसे अधिक समावेशी बनाने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन के साथ योजना में संशोधन किए गए।

2 योजना का औचित्य

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ भारत की कुल जनसंख्या के ~58% के लिए आय का प्राथमिक स्रोत हैं। ~85% किसान छोटी जोत वाले (एसएचएफ) हैं जिनके पास खेती के तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और ~45% कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा भारत में किसानों को मंडी से जोड़ने के लिए सीमित बुनियादी ढांचा है और इसलिए 15-20% उपज बर्बाद हो जाती है जो कि अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है जहां यह 5-15% के बीच है। भारत में कृषि में निवेश पिछले 5 वर्षों में 2% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से कम पर स्थिर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017 में निवेश~2.19 लाख करोड़ रुपए था जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा~83% था, वित्त वर्ष 2014 में ~ 2.50 लाख करोड़ रुपए उच्च निवेश और निजी क्षेत्र का उच्च शेयर ~ 88% था। इसके अलावा निवेशकों के आत्मविश्वास की कमी के कारण हल अनुपात (वित्त वर्ष 2018 में सकल मूल्यवर्धन का ~14%) बनाम अन्य क्षेत्र (वित्त वर्ष 2018 में सकल मूल्य संवर्धन का ~33%) कम है।

3 योजना का उद्देश्य

देश में कृषि अवसंरचना के सुधार के क्रम में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा को संगठित करना। इस वित्तपोषण सुविधा का कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए कई उद्देश्य होंगे।

क. किसान (एफपीओ, पैक्स, विपणन सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, राज्य एजेंसियों, कृषि उपज मंडी समितियों, राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघों, एफपीओ संघों तथा स्वयं सहायता समूह संघों (एसएचजी) आदि सहित)

- किसानों को सीधे उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या तक अपने उत्पाद बेचने की अनुमति देने के लिए विपणन अवसंरचना में सुधार और इस प्रकार किसानों के मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा।
- लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निवेश के साथ, किसान फसलोपरांत हानियों को कम करने में समर्थ होंगे और बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी। यह आगे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा और उनकी बाजार तक पहुंच में सुधार करेगा।
- आधुनिक पैकेजिंग और शीत भंडारण प्रणाली के पहुंच के साथ, किसान आगे यह तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में अपने उत्पाद को कब बेचा जाए और इससे उनकी आय में सुधार होगा।
- बेहतर उत्पादकता और आदानों के अनुकूलन के लिए सामुदायिक खेती की परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप किसानों को काफी बचत होगी।

ख. सरकार

- सरकार ब्याज छूट, प्रोत्साहन और ऋण गारंटी के माध्यम से सहायता करते हुए वर्तमान में गैर-महत्वपूर्ण परियोजनाओं में प्राथमिक क्षेत्र की ऋण देने में सक्षम होंगे। यह कृषि में नवाचार, संभरण के माध्यम से और निजी क्षेत्र के निवेश के चक्र की शुरुआत करेगा।

- फसलोपरांत अवसंरचना में सुधार के कारण, सरकार आगे राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय प्रतिशत को कम करने में सक्षम होगी जिससे कृषि क्षेत्र वर्तमान वैश्विक स्तरों के साथ प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम होगा।

- केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए उनके अपने परियोजनाओं को व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं को बनाने में सक्षम होंगे।

ग. कृषि उद्यमी और स्टार्टअप

- निधियों के समर्पित स्रोत के साथ, उद्यमी आईओटी, एआई आदि सहित नए युग की प्रौद्योगिकियों का लाभ लेकर कृषि क्षेत्र में नवाचार करने के लिए जोर देंगे।
- यह पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेगा अत: उद्यमियों तथा किसानों के बीच सहयोग के लिए मार्ग में सुधार करेगा।

घ. बैंकिग पारिस्थितिकी तंत्र

- ऋण गारंटी के साथ संभरण राशि और ब्याज छूट देने वाले संस्थान कम जोखिम के साथ उधार दे सकेंगे। यह योजना उनके उपभोक्ता आधार और पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ाने में सहायता करेगी।
- पुन:वित्त सुविधा सहकारी बैंकों तथा आरआरबी के लिए बड़ी भूमिका निभाएगी।

ङ. उपभोक्ता

- फसलोपरांत पारिस्थितिकी तंत्र में कम हुई अक्षमताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिए प्रमुख लाभ मंडी में पहुंच रहे उत्पाद का बड़ा हिस्सा होगा और इसलिए बेहतर गुणवत्ता और मूल्य प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कृषि अवसंरचना में वित्तीय सुविधा के माध्यम से निवेश सभी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा।

4. योजना की कार्यान्वयन अवधि

यह योजना वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक प्रचालन में होगी। इस योजना के तहत ऋण वितरण छः वर्षों में पूर्ण होगा, अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक। 31 दिसंबर 2022 तक, 14,118 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से इस योजना के तहत 9117 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं। 1 लाख करोड़ रूपये में से 90,883 करोड़ रूपये की शेष राशि वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच की शेष अवधी के दौरान वितरित किए जायेगी। इस वित्तीय सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए 2 वर्ष तक की ऋण स्थगन सहित अधिकतम 7 वर्ष होगी।

5. सरकारी बजटीय सहायता

बजटीय सहायता पीएमयू की प्रशासनिक लागत के साथ ब्याज छूट एवं ऋण गारंटी के लिए प्रदान की जाएगी। विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	संघटक का नाम	मानदंड
1.	ब्याज छूट लागत	वित्तपोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ रुपए की सीमा तक सभी ऋण 3% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट पर होगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए होगा। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण के मामले में तब ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।
2.	ऋण गारंटरी लागत	2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। एफपीओ के मामले में ऋण गारंटी डीएसीएंडएफडब्ल्यू के संवर्धन योजना एफपीओ के तहत सृजित सुविधा से प्राप्त की जा सकती है। तथापि, एफपीओ एआईएफ के तहत क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र हैं।
3.	पीएमयू की प्रशासन लागत	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति केंद्रीय स्तर पर योजना को पीएमयू सहायता प्रदान करेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित

		प्रदेश जागरूकता पैदा करने, संभावित समूहों की पहचान करने, आवेदनों को जुटाने, सभी हितधारकों की समीक्षा करने और योजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अपने-अपने राज्यों में पीएमयू स्थापित करेंगे। .

6. पात्र परियोजनाएं

यह योजना मूल्य श्रृंखला की स्थापना तथा प्रमुख तत्वों के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। जिसमें शामिल हैः

निम्नलिखित परियोजनाएँ सभी लाभार्थियों के लिए पात्र हैं, जिनमें निजी संस्थाएँ और समूह जैसे एफपीओ, पीएसीएस, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समितियाँ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारिता संघ, एफपीओ संघ, एसएचजी संघ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियाँ शामिल हैं।

(क) फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं:

- ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं
- वेयरहाउस और साइलो
- कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन
- पैकेजिंग इकाइयां
- परख इकाइयों
- छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ
- लॉजिस्टिक सुविधाएं- रीफर वैन और इंसुलेटेड वाहन
- पकने वाले कक्ष
- कृषि अवशेष/अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना
- प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियां * (तालिका 1 देखें)

(ख) सामुदायिक खेती संपत्ति

- जैविक आदानों का उत्पादन - वर्मीकम्पोस्टिंग आदि।
- संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र
- जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां
- स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवंसरचना
- ड्रोन की खरीद, क्षेत्र में विशेष सेंसर लगाना, ब्लॉकचेन और कृषि आदि में एआई
- रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे स्वचालित मौसम स्टेशन, जीआईएस अनुप्रयोगों के माध्यम से फार्म सलाहकार सेवाएं।

- □ नर्सरी
- □ ऊतक संस्कृति
- □ बीज प्रसंस्करण
- □ कस्टम हायरिंग सेंटर-कृषि मशीनरी/उपकरण (मात्रा में न्यूनतम 4)
- □ फार्म/हार्वेस्ट ऑटोमेशन (कम्बाइन हार्वेस्टर, गन्ना हार्वेस्टर, बूम स्प्रेयर आदि)
- □ स्टैंडअलोन सोलर पम्पिंग सिस्टम (पीएम-कुसुम घटक बी)
- □ (पीएम-कुसुम घटक सी) के तहत ग्रिड से जुड़े कृषि-पंप का सोलराइजेशन
- □ एकीकृत स्पिरुलिना उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयां
- □ रेशम उत्पादन प्रसंस्करण इकाई
- □ शहद प्रसंस्करण
- □ संयंत्र संगरोध इकाइयां
- □ निर्यात क्लस्टर सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने के लिए पहचान की गई परियोजनाएं।
- □ सामुदायिक खेती की संपत्ति या फसल कटाई के बाद की प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए पीपीपी के तहत केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाएं।

निम्नलिखित परियोजनाएं केवल एफपीओ, पीएसीएस, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी संघों, एफपीओ संघों, एसएचजी के संघों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों जैसे <u>समूहों के लिए पात्र</u> हैं क्योंकि वे सामुदायिक कृषि संपत्ति के रूप में योग्य हैं

- □ हाइड्रोपोनिक खेती
- □ मशरूम की खेती
- □ क्षेतिज खेती
- □ एरोपोनिक खेती
- □ पॉली हाउस/ग्रीनहाउस
- □ रसद सुविधाएं (गैर-प्रशीतित/पृथक वाहनों सहित)
- □ ट्रैक्टर

नोट 1: एआईएफ के तहत किसी भी योग्य अवसंरचना के सोलराइजेशन को भी वित्तपोषित किया जा सकता है।

नोट 2: उपरोक्त पात्र परियोजनाओं के विकास के हिस्से के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी और ऑप्टिक फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पात्र निवेश होगा।

* तालिका 1 फसलवार प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्र.सं.	फसलें	योग्य गतिविधियाँ	अयोग्य गतिविधियाँ
1	अनाज और बाजरा *गेहूं, चावल, ज्वार, जौ, मक्का, जई, आदि।*	सफाई, डी-स्टोनिंग, छंटाई और ग्रेडिंग, हलिंग, मिलिंग (आटा, मैदा, सूजी, दलिया), पोडिंग, ग्रेडिंग, टेम्परिंग, पारबोइलिंग, भिगोना, सुखाना, छलनी, विकिरण, पैकेजिंग, परतदार, भंडारण (गोदाम, साइलो)	किण्वन, बेकिंग, पफिंग, फ्राइंग, एक्सट्रूज़न, ब्लेंडिंग, रोस्टिंग, राइस फोर्टिफिकेशन, (ब्रेड, बिस्कुट, पास्ता, स्नैक फूड्स, आदि)
2	फल और सब्जियां	वाशिंग, सफाई, ड्राइंग, छंटाई, ग्रेडिंग, फ्रीजिंग (आईक्यूएफ और ब्लास्ट), प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए ब्लैंचिंग, कूलिंग, वैक्सिंग, कंडीशनिंग, पैक हाउस, कोल्ड स्टोर, राइपनिंग चैंबर, रीफर वैन, बकेट लिफ्ट, पैकेजिंग	निर्जलित उत्पाद, केंद्रित उत्पाद, कैनिंग, रस निष्कर्षण, सॉस, कैंडीज, जैम और जेली, अचार
3	तिलहन और ऑयल पाम *मूंगफली, रेपसीड और सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, अलसी, जैतून, ऑयल पाम आदि।*	सफाई, डी-स्टोनिंग, डी-हसिंग, (डीकॉर्टिकेटिंग मशीन), विनिंग, तेल निष्कर्षण (घानी, हाइड्रोलिक प्रेस आदि), विलायक निष्कर्षण, तेल बीज केक	परिष्कृत
4	दलहन	सफाई, डी-स्टोनिंग, ड्राइंग, छंटाई और	कैनिंग, पापड़, पल्स

क्र.सं.	फसलें	योग्य गतिविधियाँ	अयोग्य गतिविधियाँ
	बंगाल ग्राम, अरहर मटर, मूंग, चिक मटर, काला चना, लाल राजमा, काली आंखों वाली मटर, सफेद मटर आदि।	ग्रेडिंग, डी-हसकिंग, विभाजन, डी-हलिंग, मिलिंग (बेसन), विकिरण, पैकेजिंग, भंडारण	आधारित रेडी टू ईट फूड, पफ्ड काबुली चना जैसे उत्पाद
5	मसाले *लाल मिर्च, जीरा, लौंग, धनिया, दालचीनी, लहसुन, अदरक, हल्दी, मेथी, इलायची आदि।*	सफाई, ड्राइंग, छंटाई, उबालना, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विकिरण	भुना हुआ उत्पाद, पेस्ट
6	**नकदी फसलें**		
	कपास	सफाई, ड्राइंग, जिनिंग, दबाने और बेलिंग, लिंटिंग, कपास के बीज का तेल, बीज खली	फाइबर बनाना, फाइबर की छानना, बुनाई करना
	गन्ना	गन्ना अनलोडिंग, सफाई, गन्ना तोड़ना, गन्ना मिलिंग, तनाव, बाष्पीकरणकर्ता, सेंट्रीफ्यूजेशन, भंडारण टैंक, ड्रायर, चीनी क्रिस्टल, गुड़, पैकेजिंग और भंडारण	बगास, किण्वन, मादक आसवन के साथ कागज और बोर्ड बनाना
	जूट	कटिंग, कटिंग, स्ट्रिपिंग, धोना, सुखाना, बेलिंग, पैकिंग, भंडारण	जूट कपड़ा, बैग, बोरे बनाना
	चाय और कॉफी	सफाई और धुलाई, मुरझाना, रोलिंग, किण्वन, सुखाना, छंटाई, चेरी को सुखाना, हलिंग, पल्पिंग, ऑक्सीकरण, पैकेजिंग (टी बैग सहित), सफेद चाय, हरी चाय, काली चाय	चॉकलेट बनाना
	नारियल	डीहस्किंग, डीशेलिंग, कटिंग, ड्राइंग (खोपरा), ग्रेडिंग, नारियल पानी का निष्कर्षण, नारियल का दूध निष्कर्षण, सेंट्रीफ्यूजेशन, गर्म प्रसंस्करण, वर्जिन	क्रीम, मक्खन

क्र.सं.	फसलें	योग्य गतिविधियाँ	अयोग्य गतिविधियाँ
		नारियल तेल, पैकेजिंग	
	रबर	मस्ती, मिश्रण, आकार देना, इलाज, विकिरण	द्वितीयक रबर उत्पाद जैसे टायर, गद्दे, बोतलें, जूते आदि।
	तंबाकू	सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, इलाज, ड्राइंग, भंडारण	चबाने, सिगार, डिप्स आदि बनाने।
7	पागल *काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि*	सफाई, ग्रेडिंग, बॉयलर में स्ट्रीमिंग, शेल कटिंग, ड्राइंग, छीलने, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, शेलिंग, शेलिंग, शेलिंग, सेपरेशन, पैकेजिंग, हलिंग, धुलाई, ड्राइंग, भंडारण, पैकेजिंग, कन्वेयरिंग बेल्ट	काजू फलों का रस, भुना हुआ उत्पाद, अखरोट फैलता है, बादाम का दूध, पाउडर, स्प्रेड, रोस्टिंग
8	हर्बल, औषधीय और सुगंधित फसलें *बरबेरी, मुलेठी, बेल, इसबगोल, गुग्गल, केर्थ, आंवला, चंदन, सेन्ना, बैबेरंग, ब्राह्मी, नीलगिरी, जटामांसी आदि।*	सफाई, छंटाई, ड्राइंग, मिलिंग, तेल का निष्कर्षण, पैकेजिंग, भंडारण	सिरप, गोलियां, क्रीम, फ्राइंग
9	बाँस	ड्राइंग, कटिंग, स्ट्रिपिंग, शीट का निर्माण, बांस चारकोल, पाउडर, दाने, बांस उपचार संयंत्र, बांस डिपो और गोदाम	प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे अचार, करी आदि, फाइबर, फर्नीचर, अगरबत्ती आदि जैसे उत्पाद
10	चारे की फसलें *बर्सीम, फोरेज सोरघम, आदि।*	कटिंग, मिक्सिंग, ग्रेडिंग	पेलेटिंग

क्र.सं.	फसलें	योग्य गतिविधियाँ	अयोग्य गतिविधियाँ
11	कंद फसलें *शकरकंद, कसावा आदि।*	छीलना और धोना, झंझरी, किण्वन, सुखाना, छानना, मिलिंग, भंडारण	मादक उत्पाद, स्टार्च
12	सुपारी	सफाई, देहुस्किंग, छीलना, विभाजन, उबलना, सुखाना, पैकेजिंग	हार्डबोर्ड, इन्सुलेशन ऊन, कुशन, पेपर, पेपर बोर्ड आदि।

7. वित्तपोषण सुविधा तथा पात्र लाभार्थियों का आकार

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों (पीएसीएस), विपणन सहाकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देश्य सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप तथा केन्द्र/राज्य एजेंसी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक/निजी भागीदारी परियोजनाओं, राज्य एजेंसियों, कृषि उपज बाजार समितियों (मंडियों), राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघों, एफपीओ (कृषक उपज संगठन) संघों तथा स्वयं सहायता समूह संघों (एसएचजी) के लिए ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रूपये प्रदान किया जाना। मत्स्य पालन सहित कृषि एवं अनुषंगी क्षेत्र के उपज के लिए एपीएमसी प्रचालित विनियमित मंडियां भी पात्र होंगी।

पीएसएस जिन्होंने अपने प्रचालनों के लिए डिजिटाइजेशन को अपनाया है, उन्हें स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

8. इस योजना के तहत पात्र प्रति संस्था परियोजनाओं की संख्या

इस योजना के तहत एक स्थान पर 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन पात्र है। एक ही स्थान पर कई परियोजनाएँ 2 करोड़ रूपये की समग्र सीमा के साथ भी पात्र हैं। यदि कोई पात्र संस्था अलग-अलग स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो ऐसी सभी परियोजनाएं योजना के तहत 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। हालांकि, निजी क्षेत्र की इकाई, जैसे कि किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप के लिए ऐसी अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, एफपीओ, एफपीओ संघों, स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता

समूहों के संघों पर लागू नहीं होगी। लोकेशन का अर्थ एक अलग एलजीडी (स्थानीय सरकार निदेशिका) कोड वाले गाँव या कस्बे की भौतिक सीमा से होगा। ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग एलजीडी (स्थानीय सरकार निदेशिका) कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए।

एपीएमसीएस के लिए, इसके निर्दिष्ट विपणन क्षेत्र में विभिन्न अवसंरचना की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, विभिन्न अवसंरचना प्रकारों अर्थात एपीएमसी के निर्दिष्ट विपणन क्षेत्र के भीतर कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयां, साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा। ।

9. भागीदारी करने वाली संस्थाएं

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्तीय बैंक, गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास बैंक (एनसीडीसी) इस वित्तीय सहायता को प्रदान करने में सहभागी बन सकते हैं।

10. पुन: वित्तपोषण

यदि अपेक्षित हो, नाबार्ड सहकारी बैंकों एवं आरआरबी सहित ऋण देने वाली सभी पात्र संस्थाओं को आवश्यकता के आधार पर पुन: वित्तपोषण की सहायता प्रदान करेगा।

11. उधार दर पर ऊपरी सीमा लगाना

उधार देने वाली संस्थाओं के साथ उचित परामर्श करके ऋण देने वाली भागीदार संस्थाओं के लिए उधार दर निर्धारित की जाएगी और इसे सभी हितधारकों के लिए परिचालित किया जाएगा। उधार देने वाली संस्थाएं स्कीम के कार्यान्वयन हेतु डीएसीएंडएफडब्ल्यू/नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ डीएसीएंडएफडब्ल्यू/नाबार्ड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस उद्देश्य से किया जाएगा कि नाबार्ड उचित रीति से उधार दर पर ऊपरी सीमा लगाने पर चर्चा करेगा।

12. परियोजना प्रबंधन एवं हैंडहोल्डिंग सहायता

सूचना एवं ऋण-संस्वीकृति की सुविधा प्रदान करने के लिए उधार देने वाली भागीदार संस्थाओं के समन्वय से एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन एमआईएस प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी अर्हक संस्थाओं को निधि के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन देने में सक्षम बनाएगा। इस तंत्र से विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरों की पारदर्शिता, ब्याज छूट सहित स्कीम का विवरण तथा प्रस्तावित ऋण गारंटी, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, शीघ्र अनुमोदन प्रक्रिया के साथ अन्य स्कीमों के लाभों का समेकन जैसे लाभ भी प्राप्त होंगे। पार्श्वांत पर, यह प्लेटफार्म कुल संस्वीकृत राशि तथा उधारकर्ताओं की संख्या, उपभुक्त कुल ब्याज छूट का लाभ, ऋण विवरण का सारांश, उधार लेने वाले एवं परियोजनाओं के प्रकार का जनांकिकीय व भौगोलिक मिश्रण की निगरानी के लिए जिला; राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय पीएमयू डैशबोर्ड के विभिन्न दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा।

जागरूकता पैदा करने, संभावित कलस्टरों की पहचान करने, आवेदन जुटाने, सभी हितधारकों की समीक्षा करने और योजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित राज्यों में पीएमयू स्थापित करेंगे।

केन्द्र एवं राज्य पीएमयू द्वारा लाभार्थियों एवं उधार देने वाली संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु निर्देशित इकाई लागतों के साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। ऐसी परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी।

13. अभिसरण -

केन्द्र/राज्य सरकार के किसी वर्तमान अथवा भविष्य की स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध किसी अनुदान अथवा राजसहायता का लाभ इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत नामत: एमआईडीएच, पीएमएफएमई, एसएमएएम, गोबर-धन, पीएमकेएसवाई, एमएमआई, एमएससी, आरकेवीवाई, पीएम-कुसुम (बी एंड सी) के रूप में पीएसीएस, पीएमईजीपी आदि परियोजनाओं के लिए लिया जा सकता है। पूंजीगत राजसहायता के मामले में, ऐसी धनराशि को प्रोमोटर का अंशदान माना जाएगा। हालांकि परियोजना लागत की न्यूनतम 10% राशि प्रोमोटर के अंशदान के लिए अनिवार्य होगी।

14. स्कीम में संशोधन

व्यय विभाग द्वारा 20,000 करोड़ रूपय का वितरण हो जाने के पश्चात स्कीम का पुनरीक्षण मूल्यांकन एवं मध्यावधि संशोधन हेतु यदि अपेक्षित हो, किया जाएगा। इंड-लाइन मूल्यांकन के

अतिरिक्त स्कीम का तृतीय पक्ष द्वारा समवर्ती/मध्यावधि स्वतंत्र मूल्यांकन, जब कभी भी अपेक्षित हो, किया जाएगा।

15. निगरानी की रूपरेखा

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां होंगी जो प्रस्तावित स्कीम के कार्यान्वयन का वास्तविक समय प्रबोधन करने के साथ ही प्रभावी फीडबैक सुनिश्चित कराएंगी। इन समितियों का गठन **अनुबंध-क** के अनुसार किया जाएगा।

इस निधियन सुविधा के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों पर जियो टैगिंग की जाएगी। जिला निगरानी समिति और संबंधित ऋणदाता संस्थान यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे जियो टैगिंग की गई परिसंपत्तियों संबंधी अद्यतित सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो।

16. आउटपुट और आउटकम निगरानी की रूपरेखा **(ओओएमएफ)**

आउटपुट और आउटकम प्रबोधन ढांचा (ओओएमएफ) **(अनुबंध-ख**) निगरानी प्रणाली का हिस्सा होगा और आउटकम आकलन संकेतकों का आवधिक आधार पर डीएलएमसी, एसएलएमसी और एनएलएमसी द्वारा प्रबोधन किया जाएगा।

17. पीएफएमएस के साथ लिंकेजेज

ब्याज रियायत और ऋण गारंटी सहयोग पीएफएमएस के माध्यम से बैंकों और ऋणदाता संस्थाओं को जारी किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत लाभग्राहियों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा निधियों का संवितरण आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।

18. पात्र ऋणग्राहकों के चयन संबंधी मानदंड

ऋणदाता संस्थाएं नाबार्ड और निगरानी समितियों, पीएमयू के साथ परामर्श करके और परियोजनाओं की अर्थक्षमता को ध्यान में रखकर और एनपीए से बचाव करते हुए पात्र ऋणग्राहकों के चयन संबंधी मानदंडों का निर्णय करेंगी।

19. वीजीएफ अपेक्षा

यदि केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा वीजीएफ अपेक्षा को दर्शाया जाता है तो पीपीपी के लिए डीईए द्वारा विनिर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा।

20. क्षेत्र विशिष्ट फोकस

स्कीम के अंतर्गत कुल सहायता अनुदान का 24 प्रतिशत अजा./अ.ज.जा उद्यमियों के लिए उपयोग किया जाएगा (अजा. के लिए 16 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 8 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त ऋणदाता संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उद्यमियों का पर्याप्त कवरेज हो जिन्हें प्राथमिकात के आधार पर ऋण प्रदान किया जाए ताकि स्कीम के कार्यान्वयन का लाभ समावेशी सुनिश्चित हो और सरकार के दिशा-निर्देशों एवं नीतियों के अनुसार वांछित लाभग्राहियों को मिल सके।

21. राज्य विशिष्ट फोकस

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के आउटपुट के कुल मूल्य के अनुपात के आधार पर निधियन सुविधा के अनंतिम राज्य-वार आवंटन तैयार किए गए हैं और **अनुबंध-ग** पर रखे गए हैं।

अनुबंध- क

निगरानी तंत्र

(i) राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी)

<u>संघटनः-</u>

निम्नलिखित एनएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष होंगेः-

क. सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) (अध्यक्ष)
ख. एमडी एसएफएसी
ग. एमडी एनसीडीसी
घ. विशेष सचिव/अपर सचिव और एफए (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू)
ङ. अपर सचिव डीएफसी
च. अपर सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, भारत सरकार)

छ. अध्यक्ष, नाबार्ड या उनके प्रतिनिधि
ज. प्रधान सचिव-राज्य सरकार के- रोटेशन द्वारा चार राज्य
झ. चार राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी (रोटेशन द्वारा)
ञ. संयुक्त सचिव (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) और किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी के सीईओ- सदस्य सचिव

<u>प्रकार्यः</u>

1. राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी) परियोजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन तथा संचालन करेगी। यह परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों का अनुमोदन करेगी।
2. राष्ट्रीय स्तर कार्यान्वयन समिति (एनएलआईसी) परियोजना की जांच करेगी और कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों की संस्तुति करेगी। यह राष्ट्रीय स्तर निगरानी समिति (एनएलएमसी) द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी और उनकी समीक्षा करेगी।

(ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति <u>संघटन ;</u>

निम्नलिखित एसएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष होंगे :

क. मुख्य सचिव–अध्यक्ष
ख. कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव, कृषि
ग. प्रधान सचिव (सहकारिता)
घ. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरएससी)
ङ. मुख्य महाप्रबंधनक (सीजीएम), नाबार्ड
च. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी
छ. राज्यों द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं).
ज. एसएलबीसी कनवीनर
झ. राज्य नोडल अधिकारी- सदस्य सचिव

<u>प्रकार्यः-</u>

1. राज्य स्तर निगरानी समिति राज्य स्तर पर एनआईएमसी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करेगी और एनआईएमसी को फीडबैक प्रदान करेगी।

2. यह राज्य में योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन भी करेगी।
3. यह ओओएमएफ प्रपत्र के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण करेगी और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा भी करेगी।

(iii) **जिला स्तरीय निगरानी समिति**

<u>संघटन :निम्नलिखित डीएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष होंगे :</u>

क. जिला कलैक्टर – अध्यक्ष
ख. जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी/सीडीओ-उपाध्यक्ष
ग. जिला कृषि अधिकारी
घ. जिला रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा नामित सहकारी समितियां
ङ. राज्य द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं)
च. डीएलबीसी के प्रमुख जिला प्रबंधक
छ. जिला प्रबंधक नाबार्ड- सदस्य सचिव

<u>प्रकार्यः-</u>

1. जिला स्तर निगरनी समिति (डीएलएमसी)-डीएलएमसी समग्र ढांचे में कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र की प्रथम पंक्ति होगी।
2. डीएलएमसी ओओएमएफ प्रपत्र के अनुसार एसएलएमसी के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित करेगी और पीएमयू की सहायता से प्रगति की गहन निगरानी करेगी।
3. डीएलएमसी पीएमयू के सहयोग से डैशबोर्ड का रख-रखाव करेगी।
4. यह योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी तथा जिल स्तर पर समस्याओं का समाधान करेगी। कार्यान्वयन संबंधित समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया मे समिति को यथापेक्षित जिला प्रशासन द्वारा सहायता दी जायेगी।

अनुबंध-ख

ओओएमएफ ढांचा

आउटपुट:

आउटपुट विवरण	आउटपुट संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि मूलभूत संरचना के सृजन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना	पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		
	पात्र परियोजनाओं के लिए निधि का वितरण (करोड़ रू.)		
ब्याज रियायत की राश में वृद्धि और प्रदान किया गया ऋण गारंटी सहयोग	ब्याज रियायत के लिए खर्च की कई राशि (करोड़ रू.)		
	ब्याज रियायत पाने वाली परियोजनाओं की संख्या		
	ब्याज रियायत पाने वाली परियोजनाओं का प्रतिशत (स्कीम के तहत ऋण प्रस्तावित कुल योजना)		
	ऋण गारंटी कवरेज पर खर्च धनराशि (करोड़ रू.)		
	स्कीम के तहत दिए गए कुल ऋण का ऋण गारंटी कवरेज औसत प्रतिशत		

आउटकम विवरण	आउटकम संकेतक	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि मूलभूत अवसंरचना के लिए संसाधन प्रावधान में निवेश	पूर्ण की गई परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई निधि का प्रतिशत		
	कृषि मूलभूत अवसंरचना निधि निवेशों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त निवेश (करोड़ रू.)		
कृषि मूलभूत अवसंरचना क्षमता में बढ़ोतरी	वित्तपोषित मूलभूत अवसंरचना कार्याकलापों के कारण कृषि क्षेत्रमें कुल क्षमता संवर्धन (एमटी)		
	फसलोपरांत हानियों और खाद्य पदार्थों की बरबादी में कमी (%)		

अनुबंध-ग

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वित्तीय सुविधा का अनंतिम आवंटन

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय सुविधा की राशि करोड़ में**
1	उत्तर प्रदेश	12831
2	राजस्थान	9015
3	महाराष्ट्र	8460
4	मध्य प्रदेश	7440
5	गुजरात	7282
6	पश्चिम बंगाल	7260
7	आंध्र प्रदेश	6540
8	तमिलनाडु	5990
9	पंजाब	4713
10	कर्नाटक	4525
11	बिहार	3980
12	हरियाणा	3900
13	तेलंगाना	3075
14	केरल	2520
15	ओडिशा	2500
16	असम	2050
17	छत्तीसगढ़	1990
18	झारखंड	1445
19	हिमाचल प्रदेश	925
20	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	900
21	उत्तराखंड	785
22	त्रिपुरा	360
23	अरुणाचल प्रदेश	290
24	नागालैंड	230
25	मणिपुर	200
26	मिजोरम	196
27	मेघालय	190
28	गोवा	110
29	दिल्ली	102

30	सिक्किम	56
31	पुडुचेरी	48
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	40
33	दमन और दीव	22
34	लक्षद्वीप	11
35	दादरा और नगर हवेली	10
36	चंडीगढ़	9
	कुल	**1,00,000**